

अर्थना - पत्र स्वीकार किया जाता है।  
 वहां वाद को पुनः निर्धारित  
 किया जाता है। इस प्रकार पूर्व  
 निर्देशों के अनुसार। इसी  
 प्रकार निर्देश जारी करावली दिनांक  
 19.6.2024 को पत्र को वाद  
 दर्ज रजिस्ट्रार को

उपखण्ड अधिकारी  
 कोटपुतली, जिला-कोटपुतली-बहरीड़

6.24 निर्देशों के आधी उपाय वाले हाथ  
 वाली इसी प्रकार निर्देश जारी  
 दिनांक 31.7.24 को पत्र को

उपखण्ड अधिकारी  
 कोटपुतली, जिला-कोटपुतली-बहरीड़

7.24 निर्देशों के आधी ने वाद में अर्ज  
 पत्र अर्ज (अनिर्णय) को पर पत्र  
 अर्ज अर्ज ही तब से जारी  
 अर्ज पत्र को पर पत्र अर्ज अर्ज  
 अर्ज अर्ज अर्ज - पत्र पर अर्ज अर्ज  
 अर्ज निर्देशों के आधी अर्ज अर्ज

उ.नं. 31  
2020 अमी-चंद काम जयमल वर्मा  
दादा दीपना

दादी/बर्ष ने एका अधीकृत  
दादी ने दाद पक्षकाल के  
बदल एकीकृत हेम एकीकृत  
किहा तथा दाद से डीजे नही  
चलाना चाहते हैं। इसलिए दादी  
से उनके लिखित बर्षना-पत्र  
के आधार पर राजि किहा  
जाता है। फावली निमित्त कुमा  
देसा दर्ज नही है वर है।

PK  
रूपखण्ड अधिकारी  
कीटपूतली, जिला-कोटपूतली-बहरोड़